



A

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)  
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़  
पीठासीन अधिकारी शिवांगी स्वर्णकार, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/40/2019 (सू.अ.)  
पंजीयन दिनांक:- 04.04.2019

श्री शिव प्रकाश पिता गोविन्द लाल पुरोहित निवासी आवलहेड़ा वाया बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

निर्णय

दिनांक 25.04.2019



सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 05.02.2019 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 40/2019/(25.04)/176 दिनांक 04.04.2019 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 25.04.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 25.04.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी ने उसके द्वारा वांछित सूचनाएं उसे आदिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई है। अतः चाही गई सूचनाएं दिलावें। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/55 दिनांक 11.04.2019 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:-

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
(जिला कलक्टर)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)



AG

प्रकरण संख्या 40/2019 (सू.अ.)
श्री शिवप्रकाश पुरोहित निवासी आंवलहेड़ा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशा.) चित्तौड़गढ़

1. यह है कि प्रार्थी श्री शिवप्रकाश पिता गोविन्दलाल पुरोहित निवासी आंवलहेड़ा, तहसील चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 05.02.2019 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में 06.02.2019 को प्राप्त होना सही है।
2. यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना का संबंध प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग, जिला कार्यालय से होने से इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/2019/2081 दिनांक 06.02.2019 से प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग को भिजवाया गया।
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग के पत्रांक/सतर्कता/7(1-4)आरटीआई/2017/366 दिनांक 08.02.2019 से अवगत कराया कि इस कार्यालय के पत्रांक 398 दिनांक 06.02.2018 एवं स्मरण पत्र क्रमांक 3799 दिनांक 31.12.2018 से तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ से जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है। प्राप्त होते ही अवगत करा दिया जायेगा। प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग जिला कार्यालय से वांछित सूचना लिया जाना प्रस्तावित है जो शीघ्र ही प्राप्त कर प्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवा दी जायेगी।
4. यह है कि प्रार्थी को सूचना के संबंध में जानकारी उपलब्ध करा दी जाने से अब कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः प्रस्तुत प्रथम अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।



हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/55 दिनांक 11.04.2019 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से ग्राम आंवलहेड़ा में उपद्रवी लोगों द्वारा चारागाह भूमि पर किए गए अतिक्रमण के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.18 पर की गई कार्यवाही संबंधी सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही जा रही है। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग से ली गई सूचना के आधार पर, लोक सूचना

लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी  
(जिला कलक्टर)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)





AT

-3-

प्रकरण संख्या 40/2019 (सू.अ.)
श्री शिवप्रकाश पुरोहित निवासी आंवलहेड़ा वनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशा.) चित्तौड़गढ़

अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपीलार्थी को जरिये पत्रांक /एडीएम/पीए/लोरूअ/2019/2081 दिनांक 13.02.2019 से अवगत करा दिया है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ से जांच रिपोर्ट/प्रतिवेदन अपेक्षित है अतः प्राप्त होते ही उसकी सूचना निः शुल्क उपलब्ध करा दी जावेगी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है।



(शिवांगी स्वर्णकार)  
लोक सूचना अपीलार्थी अधिकारी  
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी  
जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./40/2019(सू.अ.)/ 198

दिनांक:- 10 / 05 / 2019

प्रतिलिपि:-

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़
2. श्री शिवप्रकाश पिता गोविन्द लाल पुरोहित निवासी आंवलहेड़ा, वाया बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़

(शिवांगी स्वर्णकार)  
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी  
जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)